"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 सितम्बर 2011—भाद्र 14, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 14, 1933)

क्रमांक-10359/विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 18 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011

वित्तीय वर्ष 2011-2012 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीगसढ़ विनियोग अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिये राज्य की संचित निधि में से 16,53,30,17,200 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2011 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए सोलह सौ तिरपन करोड़ , तीस लाख, सत्रह हजार, दो सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)		निम्नलिखित से अनधिक राशियां (3) विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	3,35,00,000	11,44,000	3,46,44,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	22,71,000	0	22,71,000
03	पुलिस	राजस्व	71,79,74,400	0	71,79,74,400
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	1,96,16,000	0	1,96,16,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	28,53,80,300	0	28,53,80,300
		पूंजी	13,50,00,000	0	13,50,00,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	12,00,00,000	0	12,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
10	वन	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		पूंजी	30,00,000	0	30,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	4,50,00,00,000	0	4,50,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	12,16,85,000	5,96,000	12,22,81,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,69,17,100	0	10,69,17,100
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	10,16,00,000	0	10,16,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	1,81,000	0	1,81,000
17	सहकारिता	राजस्व	3,07,04,000	0	3,07,04,000
		पूंजी	14,05,30,000	0	14,05,30,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3,75,00,000	0	3,75,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	15,95,89,000	0	15,95,89,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	27,72,00,000	0	27,72,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	32,00,000	0	32,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	36,25,10,000	0	36,25,10,000
		पूंजी	20,61,00,000	0	20,61,00,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	1,20,00,000	0	1,20,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	200	300	500

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	38,48,23,000	0	38,48,23,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,24,00,400	0	1,24,00,400
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	5,50,00,000	0	5,50,00,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	2,48,00,000	0	2,48,00,000
36	परिवहन	राजस्व	2,32,22,000	2,86,000	2,35,08,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	4,05,000	0	4,05,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	69,95,40,100	0	69,95,40,100
		पूंजी	2,57,28,31,300	0	2,57,28,31,300
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	50,00,100	0	50,00,100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	20,00,00,800	0	20,00,00,800
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	29,48,36,200	0	29,48,36,200
		पूंजी	25,00,000	0	25,00,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,26,00,000	0	1,26,00,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.	राजस्व	9,50,00,000	0	9,50,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	49,15,100	0	49,15,100
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	10,61,90,000	3,47,000	10,65,37,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	26,00,00,100	0	26,00,00,100
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	27,72,37,100	0	27,72,37,100
		पूंजी	56,97,16,100	0	56,97,16,100
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	41,00,000	0	41,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	8,67,93,100	0	8,67,93,100
		पूंजी	56,77,43,100	0	56,77,43,100
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	21,21,33,100	0	21,21,33,100
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	5,75,99,000	0	5,75,99,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	100	0	100
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	18,12,00,000	0	18,12,00,000
		पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,46,70,00,000	0	1,46,70,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	33,94,00,000	0	33,94,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	22,26,00,000	0	22,26,00,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,26,00,000	0	2,26,00,000
	योग -	**राजस्व**	**6,63,38,89,200**	**23,73,300**	**6,63,62,62,500**
		पूंजी	**9,89,67,54,700**	**0**	**9,89,67,54,700**
		वृहद योग	**16,53,06,43,900**	**23,73,300**	**16,53,30,17,200**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 27 अगस्त, 2011

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.